छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २५ /07/2023

क्रमांक एफ 1–219/2019/18:: छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित वार्डो की चर्तुसीमा को नगर पालिक निगम कोरबा, जिला–कोरबा की वर्तमान सीमा से पृथक करते हुए नगरपालिका परिषद् बांकी मोंगरा, जिला–कोरबा का गठन करने का अभिप्राय प्रकट करता है:–

अनुसूची –1

नगर पालिक निगम कोरबा, जिला–कोरबा की सीमा से पृथक किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	वार्ड का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	गेवरा	60	5651
2	आदर्श नगर	61	5234
3	नरईबोध	62	5984
4	मोंगरा	63	5883
5	घुड़देवा	64	5754
6	बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 1	65	5985
7	बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 2	66	5951
8	गजरा	67	5855

अनुसूची –2

नगरपालिका परिषद् बांकी मोंगरा, जिला–कोरबा की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है:–

गेवरा वार्ड क्रमांक 60, आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 61, नरईबोध वार्ड क्रमांक 62, मोंगरा वार्ड क्रमांक 63, घुड़देवा वार्ड क्रमांक 64, बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 65, बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 66, गजरा वार्ड क्रमांक 67.

उपरोक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर–कोरबा को कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत कर सकते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी.एस. ध्रुव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग